न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

राजस्व वाद सं. : 294 / 2022
अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
बईजलास : सुरेश कुमार, आर. ए. एस.

वादी :–

कैलाश पुत्र श्री खिवसिंह,
जाति रावणा राजपुत(दरोगा), निवासी खेड़ाधुणावाला, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
2– पटवारी हल्का, जाटावास

निर्णय

दिनांक : 25/9/24

वादी ने यह वाद बाबत खाततेदारी घोषणा का प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के विरूद्व खातेदारी घोषणा इस आश्य का पेश किया ग्राम खेड़ाधुणावाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नमबर 227 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 1.3700 हैक्टेयर कुल रकबा 3.5300 हैक्टेयर मे 1/4 हिस्सा की भूमि आई हुई है जो भूमि सवाई पुत्र तेजा जाति दरोगा निवासी खेड़ाधुणावाला के खातेदारी में दर्जे है उक्त सवाई पुत्र तेजा वादी के सगे बड़े दादा है वादी हिन्दु है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। खतोनी नकल पेश है उक्त भूमि सवाई पुत्र तेजा वादी के साथ निवास करते थे व उनके सेवा चाकरी भरण पोषण वचादी करता था वादी की इसी सेवा चाकरी से प्रसन होकर सवाई पुत्र तेजा ने दिनांक 25–03–2013 को उक्त खसरान की भूमि वादी को वसियत कर दी ताि उसी दिन इस संबंध में पंजीयन नामा पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 2 पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 1/13 उप पंजीयक रियांबड़ी में पंजीयन करवाया वसीयत नामा की फोटोप्रति पेश है श्री सवाई पुत्र तेजा का देहांत दिनांक 03–05–2013 को हो गया है उनके देहांत के पश्चात वादी सम्पूर्ण खातेदारी पर काश्त काबीज है एवं शांति पूर्वक निर्बाध रूप से आमजनता की जानकारी में काश्त काबीज है सवाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति साथ में पेश है उनके मृत्यु के पश्चात वादी ने पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण नहीं भरे जाने से वादी तहसीलदार रियांबडी के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर डिक्री लाने को कहां जबकि वादग्रस्त खसरा पर आजदिन तक काश्त काबीज है परंतु खातेदारी में नाम नहीं होने से कई प्रकार की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जिसे वाद खातेदारी घोषणा का पेश है एवं वादी की प्रार्थना है कि वादी की ड़िक्री व वहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की सादीर फरमाये की ग्राम खेड़ाधुणावाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नमबर 227 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 1.3700 हैक्टेयर कुल रकबा 3.5300 हैक्टेयर मे 1/4 हिस्सा की भूमि वादी के खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जाकर वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अमल दरामद की जावे। इस प्रकार वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रियांबड़ी से रिपोर्ट मंगवाई गई, रिपोर्ट पेश हुई वकील वादी ने बहस की गई जिसमें कथन किया की मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 02–06–2023 को बनाई जिसमें मौका मौतबिर व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी करवाये जिसमें मृतक सवाई पुत्र श्री तेजा ने वसियत वादी के पक्ष में की है एवं वादी ने सवाई की जीवनकाल में सेवा चाकरी एवं सारा सामाजिक कार्यक्रम वादी ने ही किया है एवं वादी ही सवाई की खातेदारी भूमि पर काश्त काबीज है इसलिए खातेदारी घोषणा वादी के हक में की जाना वाजिब है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

पत्रावली का अवलोकन किया गया है तहसीलदार रियांबड़ी की रिपोर्ट व वसीयत नामा दिनांक 25.03.2013 के आधार पर वादी के हक में वाद डिक्री किया जाता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम खेड़ाधुणावाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नमबर 227 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 1.3700 हैक्टेयर कुल रकबा 3.5300 हैक्टेयर मे 1/4 हिस्सा सवाई पुत्र श्री तेजा जाति दरोगा के स्थान पर कैलाश पुत्र श्री खीवसिंह जाति रावणा राजपूत(दरोगा) निवासी खेड़ाधुणावाला के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। सवाई पुत्र श्री तेजा जाति दरोगा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाता है।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

आज दिनांक 25/9/25 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी